विशाल अग्रवाल व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य

(आपराधिक अपील सं. 275/2014)

29 जनवरी , 2014

[के. एस. राधाकृष्णन और ए. के. सिकरी , जे. जे.]

निर्वाचन अधिनियम , 2003: नियम , 2005-बिजली की चोरी -शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत अधिकारी -अपराधों का संज्ञान -अनुरोध है कि सहायक अभियंता को लिखित शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था-आयोजितः संशोधन। 151 प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है-इसके अलावा , के प्रावधानों के बावजूद। अधिनियम की खंड 151 के अनुसार , पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है-भले ही एक मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष दायर शिकायत पर संज्ञान लेना हो, इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई अन्य मार्ग नहीं खोला गया है और पुलिस में शिकायत /प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है-बिजली अधिनियम के तहत अपराधों पर भी संहिता में निहित प्रक्रिया को लागू करके मुकदमा चलाया जाना है-यह नहीं कहा जा सकता है कि बिजली अधिनियम के तहत एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है

कि ऐसे अपराधों से कैसे निपटा जाए-यदि संहिता के तहत अपराध हस्तक्षेप है, तो अध्याय XII के प्रावधान शामिल हैं। 154 Cr.P.C. और आगे लागू हो जाएगा और यह पुलिस का कर्तव्य होगा कि वह एफ. आई. आर. दर्ज करे और उसी की जांच करे-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. 4, 154 और 172.

अपीलकर्ता, जो बिजली के उपभोक्ता थे और राज्य बिजली बोर्ड से इसकी आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे, उन्हें बिजली की चोरी करते हुए पाया गया। बोर्ड सी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्राथमिकी 31.3.2006 पर दर्ज की गई थी। मामले की जांच के बाद, विशेष न्यायाधीश, के समक्ष चालान दायर किया गया, जिन्होंने अपराध का संज्ञान लेते हुए दिनांक 1 के आदेश पारित किए। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने की मांग की कि सहायक अभियंता को कोई लिखित शिकायत करने का अधिकार नहीं था और स्पीशिया ! न्यायाधीश 3 के प्रावधानों का पालन किए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते थे। विद्युत अधिनियम, 2003 की खंड 151। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को विशेष न्यायाधीश से संपर्क करने का निर्देश दिया, जिन्होंने

कहा कि चूंकि शिकायत आई. एन. आर. नामक अधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 की खंड 9 का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुसार, अपीलार्थियों को मामले से बरी कर दिया गया। बोर्ड ने 4.2.2007 पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक संशोधन दायर किया। इस बीच, बिजली अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ एस. एस. जोड़कर संशोधन किया गया। 15.6.2007 से प्रभावी अधिनियम के लिए 151 (ए) और 151 (बी)। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के आदेशों को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि नियमों के 12 में, पुलिस को केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम की खंड 151 के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत को संबंधित अदालत में भेजने के लिए अधिकृत किया गया था और इसलिए, शिकायत को वैध रूप से स्थापित किया गया था।

अभियुक्त-उपभोक्ताओं द्वारा दायर तत्काल अपील में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थाः चाहे संशोधन शामिल हो। विद्युत अधिनियम, 2003 की खंड 151, जिसने न्यायालय को दंड संहिता की खंड 173 के तहत पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार दिया!

प्रक्रिया , 1973, उक्त संशोधन से पहले दायर लंबित होना शिकायतों पर लागू होगी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारितकिया :

1. 1. सत्येंद्र राय के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, निर्णायक रूप से उस संशोधन को माना। 151 प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है और आगे एच जो एस के प्रावधानों के बावजूद है। अधिनियम की खंड 151, पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, मामला बोर्ड के पक्ष में है।

* सहायक विद्युत अभियंता बनाम सत्येंद्र राय और अन्य। (2012) 1 पी. एल. जे. आर. 476-विश्वसनीय।

1. 2. जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता बी की योजना का संबंध है, यह अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, अर्थात् हस्तक्षेप और गैर-हस्तक्षेप अपराध। संहिता की खंड 154 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक हस्तक्षेप अपराध के संबंध में, इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जानी चाहिए, जो इसे लिखित रूप में कम करेगा। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। उप-एस। (3) में से। 154 आगे पुलिस अधिकारियों

को बाद की खंडओं में निर्धारित तरीके के अनुसार जांच करने के लिए बाध्य करता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे जांच पूरी होने पर संहिता की खंड 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है।

संहिता की खंड 4 यह स्पष्ट करती है कि संहिता के प्रावधान वहां लागू होंगे जहां भा.दं.सं. सी. के तहत या किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध की जांच की जा रही है, जांच की जा रही है, मुकदमा चलाया जा रहा है या अन्यथा निपटा जा रहा है। किसी अन्य कानून के तहत इन अपराधों की जांच, जांच या मुकदमा संहिता के प्रावधानों के अनुसार भी किया जा सकता है, सिवाय किसी अपराध के मामले में जहां इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया संहिता के तहत उससे अलग है। यह विशेष रूप से विद्युत अधिनियम की खंड 155 के तहत भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई विशेष या अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई हो। बल्कि, संहिता में निहित प्रक्रिया को विद्युत अधिनियम के तहत चलाए जाने वाले अपराधों के लिए भी लागू किया गया है। [पैरा 21]

एम. नारायणदास बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। 2004 Cri LJ-822-अनुमोदित।

1. 4. इस प्रकार , जब एक मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष दायर शिकायत पर संज्ञान लेना है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई अन्य रास्ता नहीं खोला गया है और पुलिस में शिकायत /प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। विद्युत अधिनियम के तहत अपराधों पर भी संहिता में निहित प्रक्रिया को लागू करके मुकदमा चलाया जाना है। इस प्रकार , यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्युत अधिनियम के तहत एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है कि ऐसे अपराधों से कैसे निपटा जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, यदि संहिता के तहत अपराध हस्तक्षेप है, तो अध्याय XII के प्रावधान शामिल हैं। 154 Cr.P.C. और आगे लागू हो जाएगा और यह पुलिस का कर्तव्य होगा कि वह एफ. आई. आर. दर्ज करे और उसी की जांच करे। अधिनियम की धारा 135 और 138 केवल यह निर्धारित करती हैं कि बिजली की चोरी आदि से संबंधित कुछ कार्य भी अपराध होंगे। यह कुछ व्यक्तियों /दलों को भी सक्षम बनाता है, जैसा कि उल्लेख किया गया है। 151, ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता बनना और लिखित रूप में अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करना। जब ऐसी शिकायत दायर की जाती है, तो अदालत तुरंत संज्ञान लेने में सक्षम होगी। हालांकि , इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपराध की जांच के लिए जो अन्य रास्ते उपलब्ध हैं, उन्हें बाहर रखा

जाएगा। यह तब अधिक होता है जब विद्युत अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया तैयार नहीं की जाती है और इस अधिनियम के तहत मामलों को भी दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाना है। [पैरा 23]

1.5। यह ध्यान देंने योग्य व महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 176 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बिजली नियम, 2005 शामिल हैं। नियम 12 में अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि पुलिस किसी शिकायत पर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगी, ऐसी शिकायत की जांच करेगी और रिपोर्ट को मुकदमे के लिए अदालत को भेजेगी।

चाको, ए. के. और ए. एन. आर. बनाम सहायक कार्यकारी अभियंता, K.S.E.B. (2010) 2 KLJ 569; विश्वनाथ पात्र बनाम संभागीय इंजीनियर ए. आई. आर. 2007 कैल 189; रंजीत के. बैग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2006) 1 सी. सी. आर. आई. जे. (कैल) 334;परमशिवन बनाम भारत संघ (2007) 2 के. एल. टी. 733;कुमारन केमिकल्स (पी) लिमिटेड प्रतिनिधि. इसके प्रबंध भागीदार डी. थिल्लेराज और अन्य द्वारा। बनाम पुलिस

निरीक्षक द्वारा पांडिचेरी सरकार प्रतिनिधि मनुइत्री 0584/2010-अस्वीकृत।

बिमला गुप्ता बनाम एन. डी. पी. एल. 136 (2007) डी. एल. टी. 521; और आशीष कुमार जैन बनाम झारखंड राज्य (2010) सी. आर. आई. एल. जे. 271-सी.

अंजन डी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2008) 1 कैल एल. टी. 486-संदर्भित।

मामला एवं कानून संदर्भः

डी K.S.E.B। (2010) 2 के. एल. जे. 569 अस्वीकृत पैरा 12

ए.आई.आर. 2007 कैल 189 अस्वीकृत पैरा 12

(2006) 1 सी.सी.आर.एल.जे. (कैल) 334 अस्वीकृत पैरा 12 ई

(2007) 2 के. एल. टी. 733 अस्वीकृत पैरा 12

एम.ए.एन.यू./टी.एन./0584/2010 अस्वीकृत पैरा 12

एन.डी.पी.एल 136 (2007) डी. एल. टी. 521 अनुमोदित पैरा 13

(2010) सी.आर.आई.एल.जे. 271 अनुमोदित पैरा 13 एफ.

(2008) 1 कैल एल.टी. 486 निर्दिष्ट पैरा 13

(2012) पी.एल.जे.आर. 476 पैरा 14

2004 सी.आर.आई.एल.जे. 822 अनुमोदित पैरा 22

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपीलीय सं 275/2014

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर आपराधिक संशोधन सं 49/2007 का निर्णय और आदेश दिनांक 26-02-2008 से।

नवीन प्रकाश , हरमीत रूपरा , अन्य के. अपीलार्थियों के लिए वर्मा।

सी. एस वैद्यनाथन , जुगलकिशोर गिल्डा , ए. एएजी , अभिमन्यु सिंह (सी. डी. सिंह), योगमाया अग्निहोत्री , प्रतिवादीओं के लिए अशोक कुमार सिंह।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था, जिसमें ए.के सिकरी ने अवकाश अनुदत्त किया।

2. कानून का एक शुद्ध प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता हैः क्या विद्युत अधिनियम , 2003 की खंड 1510 में संशोधन (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) जो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 173 (जिसे इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, उपरोक्त संशोधन के समक्ष दायर लंबित होना शिकायतों पर लागू होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, खंड

151 के दायरे और व्याख्या पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि संशोधन से पहले था। यह मुद्दा निम्नलिखित तथ्यों के समूह में उत्पन्न हुआ हैः प्रतिवादी , अर्थात। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (जिसे इसके बाद 'बोर्ड 'के रूप में संदर्भित किया जाएगा) छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली का आपूर्तिकर्ता है।

3. अपीलकर्ता बिजली के उपभोक्ता हैं और बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए बिजली कनेक्शन द्वारा से इसकी आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। बोर्ड के अनुसार , अपीलकर्ताओं को बिजली की चोरी करते हुए पाया गया था जो 23.3.2006 पर तब सामने आया जब बोर्ड के निरीक्षण दल द्वारा अपीलकर्ता के बिजली मीटर का निरीक्षण किया गया था। यह पता चला कि अनुमोदित 55.204 KW के बजाय , अपीलकर्ता 59.810 KW के भार का उपयोग कर रहे थे और मीटर के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। बोर्ड ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (अन्य एच. ओ.), पुलिस स्टेशन , सिविल लाइन्स , बिलासपुर में शिकायत की। अन्य एच. ओ. के अनुरोध के साथ उपरोक्त आरोपों पर विशाल अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 863 निर्वाचन बोर्ड [ए. के.] के आधार पर अपीलार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिएएस . एच. ओ. ए. द्वारा अधिनियम की धारा 30.3.2006 के तहत 2006 की ए. आई. आर. संख्या

227 पर ए. आई. आर. दर्ज की गई थी। मामले की जांच के बाद, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने विशेष न्यायाधीश , बिलासपुर के समक्ष चालान दायर किया, जिन्होंने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए दिनांक 30.06.2006 को आदेश पारित किए।

4. इस आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि सहायक अभियंता के पास कोई लिखित शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था और विशेष न्यायाधीश अधिनियम की धारा 151 के प्रावधानों का पालन किए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते थे। इस याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को विशेष न्यायाधीश के समक्ष उक्त आपत्ति को उठाने के निर्देश के साथ किया था। उस आधार पर, उपरोक्त याचिका को विशेष न्यायाधीश के समक्ष भी इस आशय का एक आवेदन दायर करके दबाया गया था। अपीलार्थियों के तर्क को विशेष न्यायाधीश द्वारा आश्वस्त पाया गया, जिन्होंने दिनांक 29-09-2006 के आदेश पारित किए, जिसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 के नियम 9 में नामित अधिकारियों द्वारा शिकायत नहीं की गई थी, इसलिए इसका

संज्ञान नहीं लिया जा सका। एक सिकुइटर के रूप में, अपीलार्थियों को मामले से आरोपमुक्त कर दिया गया। साथ ही बोर्ड को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी।

5. बोर्ड ने उपरोक्त आदेश को स्वीकार नहीं किया और 4.2.2007 पर आपराधिक संशोधन दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी। इसके चार महीनों के भीतर विद्युत अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 151 (ए) और 151 (बी) को 15.6.2007 से जोड़कर संशोधन किया गया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 26-02-2008 के विवादित आदेश द्वारा विशेष न्यायाधीश के आदेशों को उलट दिया है जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियमों के नियम 12 के अनुसार, पुलिस को केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 151 के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत को संबंधित न्यायालय में अग्रेषित करने के लिए अधिकृत किया गया है और इसलिए, शिकायत को वैध रूप से स्थापित किया गया था।

6. इससे पहले कि हम उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों और जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने उनसे निपटा है, उस पर ध्यान दें, प्रासंगिक विद्युत नियमों को पुनः प्रस्तुत

करना उपयुक्त होगा, जिनकी व्याख्या वर्तमान सी. ए. एस. बी. में शामिल है।

7. अधिनियम की धारा 151, जैसा कि संशोधन से पहले मौजूद थी, इस प्रकार हैः

> "151. अपराधों का संज्ञानः कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत उनके किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या एक विद्युत निरीक्षक या लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिखित शिकायत की जाए।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने विद्युत नियम, 2005, नियम 12 इस प्रकार बनाएः -

12. अपराध का संज्ञान -

(1) पुलिस उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत उनके किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या लाइसेंसधारी या जनरेटिंग

कंपनी के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा पुलिस को लिखित में की गई शिकायत पर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगी।

(2) पुलिस किसी भी शिकायत की जांच के लिए लागू सामान्य कानून के अनुसार शिकायत की जांच करेगी। शिकायत की जाँच-पुलिस के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उपलब्ध सभी शक्तियाँ होंगी।

(3) पुलिस जाँच के बाद, उपखंड (1) के तहत दायर शिकायत के साथ रिपोर्ट को अधिनियम के तहत न्यायालय को अग्रेषित करेगी। बी

(4) उपरोक्त उपखंड (1), (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या लाइसेंस प्राप्त कंपनी या उत्पादन कंपनी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा भी दायर की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, सीधे [उपयुक्त न्यायालय में। (5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रत्येक विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 135 से 139 में

निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान ले सकता है, जिसमें अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया है।

(6) अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान किसी भी तरह से भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

मूल विद्युत अधिनियम , 2003 को विद्युत (संशोधन) अधिनियम , 2007 द्वारा और संशोधित किया गया था और प्रधान अधिनियम की धारा 151 में अन्य संशोधनों के अलावा भी संशोधन किया गया था और धारा 151,151 (ए), 151 (बी) में प्रावधान जोड़े गए थे। अधिनियम में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, यह निम्नानुसार कहा गया थाः

> "4. अधिनियम की धारा 151 में निहित प्रावधानों के अनुसार , बिजली , बिजली की तारों की चोरी और मीटर में हस्तक्षेप से संबंधित अपराध संज्ञेय अपराध हैं।
>
> "151-ए. जाँच करने की पुलिस की शक्ति -इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की जाँच के उद्देश्यों के लिए, पुलिस अधिकारी के पास सभी

निर्वाचन बोर्ड [ए. के. सिकरी, जे.] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 12 में प्रदत्त शक्तियाँ। - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, खंड 135 से 140 या खंड 150 के तहत दंडनीय अपराध हस्तक्षेप और गैर-जमानती होगा।

8- अधिनियम की अपरिवर्तित खंड 151 के अनुसार विद्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल तभी लिया जा सकता है जब लिखित रूप में शिकायत की जाएः

(i) उपयुक्त सरकार, या

(ii) उपयुक्त आयुक्त, या

(iii) उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, या

(iv) एक मुख्य विद्युत निरीक्षक,

(V) विद्युत निरीक्षक, ई

(vi) लाइसेंसधारी, या

(vii) उत्पादन कंपनी, जैसा भी मामला हो।

9. अपीलकर्ता का यह निवेदन था कि उपयुक्त सरकार या उसके किसी भी अधिकारी द्वारा न्यायालय में शिकायत की जा

सकती है (क्योंकि खंड 151 के तहत ऐसी शिकायतें करने के लिए विशेष रूप से नामित अन्य व्यक्ति प्रासंगिक नहीं थे)। यह तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियम की खंड 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2005 बनाए हैं। (उक्त नियमों के नियम 9 के अनुसार, लिखित शिकायतें करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या तो राज्य सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षणालय के सहायक विद्युत निरीक्षक थे या बोर्ड या वितरण के कनिष्ठ अभियंता के पद से कम के अधिकारी नहीं थे। लाइसेंसधारी। अपीलकर्ता का निवेदन था कि मौजूदा मामले में शिकायत सहायक अभियंता द्वारा की गई थी जो कनिष्ठ अभियंता के पद से नीचे था और इसलिए, खंड 151 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं था। यह भी बहस दिया गया कि अधिनियम की खंड 151 के प्रावधानों के अनुसार, शिकायत अदालत में की जानी चाहिए न कि पुलिस में और अधिनियम की खंड 151 में निहित इन दोनों अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

10. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त बहस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बिजली नियमों का नियम 12 पुलिस को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए

अधिकृत करता है और इसलिए , बोर्ड के लिए खंड 151 के तहत शिकायत दर्ज करना आवश्यक नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि विद्युत (संशोधन) अधिनियम , 2007 द्वारा खंड 151 (ए) और खंड 151 (बी) को शामिल करने के साथ खंड 151 में परंतुक जोड़कर , यह स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी गई थी कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 173 के तहत दायर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया जा सकता है। अपीलार्थियों का बहस कि उक्त संशोधन केवल विद्युत संशोधन अधिनियम , 2007 के पारित होने के साथ ही लागू हुआ, उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर ध्यान दें देते हुए खारिज कर दिया गया है, जिससे यह आत्यन्तिक रूप से स्पष्ट हो जाता है कि संशोधन का उद्देश्य पहले से ही प्रचलित एफ स्थिति को स्पष्ट करना है अर्थात पुलिस अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध की जांच करने में समर्थ होगी। ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करने और बोर्ड की पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने के लिए दिए गए कारण हैं।

11. हमारे सामने पक्षों दलीलें समान रहीं। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का निवेदन था कि खंड 151 के प्रावधान के

साथ-साथ विद्युत अधिनियम की खंड 151 (ए) और 151 (बी) में निहित प्रावधान मूल प्रावधान हैं जो केवल संभावित रूप से काम कर सकते हैं अर्थात जिस तारीख को संशोधन अधिसूचित किया गया था और इसका पिछले समय से संचालन नहीं हो सकता था, विशेष रूप से जब प्रावधान आपराधिक कानून के दायरे में हों। उन्होंने कुछ उच्च न्यायालयों के कुछ फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें इस तरह का विचार लिया गया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी -बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय के तर्क पर व्यापक रूप से आधार बनाया और अन्य उच्च न्यायालयों के कुछ फैसलों का हवाला दिया जिन्होंने इसी तरह की कार्रवाई की है।

12. हम शुरुआत में उल्लेख कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद है। केरल और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में अपीलकर्ता के पक्ष में दृष्टिकोण लिया हैः-

चाको, ए. के. &एन. आर. बनाम सहायक कार्यकारी अभियंता, K.S.E.B। (2010) 2 के. एल. जे. 569; विश्वनाथ पात्रा बनाम डिवीजनल इंजीनियर ए. आई. आर. 2007 कैल 189; रंजीत के. बैग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2006) 1 सी. सी.

आर. एल. जे. (कैल) 334; परमशिवन बनाम भारत संघ (2007) 2 के. एल. टी. 733; कुमारन केमिकल्स (पी) लिमिटेड प्रतिनिधि . इसके प्रबंध भागीदार डी. थिल्लेराज और अन्य द्वारा। बनाम पांडिचेरी सरकार का प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा एम. ए. एन. यू./टी. एन./0584/2010 ई

13. दिल्ली और झारखंड के उच्च न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित मामलों में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया हैः

बिमला गुप्ता बनाम एन. डी. पी. एल. 136 (2007) डी. एल. टी. 521; आशीष कुमार जैन बनाम झारखंड राज्य (2010) सी. आर. आई. एल. जे. 271

दिलचस्प बात यह है कि हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऊपर उद्धृत दो निर्णयों में अलग-अलग दृष्टिकोण लिया है, जो वर्ष 2006 और 2007 के हैं, अंजन दे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2008) 1 कैल एल. टी. 486 मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण लिया गया है जो दिल्ली और झारखंड उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप है।

14. इससे पहले कि हम विस्तृत चर्चा शुरू करें, यह बताना उचित है कि यह न्यायालय सहायक विद्युत अभियंता बनाम सत्येंद्र राय और अन्य के मामले में पहले ही इसी मुद्दे पर

विचार कर चुका है। (2012) 1 पी. एल. जे. आर. 476 जिसमें इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि पुलिस के साथ प्राथमिकी अधिनियम की खंड 151 (बिना संशोधन) के तहत दर्ज की जा सकती है, जो विशेष अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने का प्रावधान करती है, उक्त फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः -

हालांकि रिपोर्ट सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताया गया था कि भले ही पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने का फैसला किया था। चोरी की शिकायत करते हुए न्यायालय अधिनियम की खंड 151 के तहत दिए गए प्रावधानों का संज्ञान नहीं ले सकता था और केवल उपयुक्त सरकार या उनके अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी।

उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और कहा कि मामले की शुरुआत कानून के अनुसार नहीं थी और इसलिए, मौजूदा मामले द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह वह निर्णय है जो हमारे विचार के लिए आया है

हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और अपील का अध्ययन किया है।

कानून की स्थिति को ध्यान द्वारा रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधान का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला है। अधिनियम की खंड 135 द्वारा बिजली की "चोरी "की परिभाषा को ध्यान द्वारा रखते हुए, कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा , अधिनियम की खंड 135 द्वारा उल्लिखित चोरी की सूचना दी गई थी। एकमात्र सवाल यह है कि क्या पुलिस उस आधार पर जांच कर सकती थी और विशेष रूप से अधिनियम की खंड 151 की भाषा को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती थी।

15. उसी निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि अधिनियम की खंड 151 का परंतुक स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था। यह पैरा 9 द्वारा इस प्रकार देखा गया है जो इस प्रकार हैः इसलिए , उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 4 की भाषा पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि लाया गया संशोधन स्पष्ट प्रकृति का है और इस प्रकार यह लंबित होना

मामलों को भी अपने दायरे द्वारा लेगा और उस अर्थ द्वारा यह एक पिछले समय से संशोधन होगा।

16. फिर भी, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक और कारण दिया गया है कि पुलिस अधिकारी के स्थिर प्राथमिकी सक्षम होगी, जैसा कि उक्त निर्णय के निम्नलिखित उद्धरणों से पाया जा सकता हैः -

उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा गलती होने का एक और कारण हो सकता है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रथम (दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची और विशेष रूप से उसके दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दिया है, जो "अन्य कानूनों के खिलाफ अपराधों का वर्गीकरण "शीर्ष के तहत है। दूसरी प्रविष्टि इस प्रकार हैः

यदि तीन वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, लेकिन सात वर्ष से अधिक नहीं है, तो ऐसे अपराधों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप , गैर-जमानती और विचारण योग्य माना जाता है।

इसलिए, उच्च न्यायालय को इस प्रावधान पर विचार करना चाहिए था जो पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस अर्थ में स्वीकार्य बनाता है कि पुलिस मामले की जांच कर सकती थी

और यदि दोषी पाया जाता तो अपराध संहिता की खंड 173 के तहत भी रिपोर्ट दायर कर सकती थी! प्रक्रिया , न्यायालय के समक्ष जिस पर न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता था।

17- इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निर्णायक रूप से यह अभिनिर्धारित करते हुए कि खंड 151 में संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है और आगे यह कि अधिनियम की खंड 151 के प्रावधानों के बावजूद , पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, मामला बोर्ड के पक्ष में है। हालाँकि , साथ ही हम उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को विस्तार से बताना चाहेंगे।

18. सबसे पहले प्रासंगिक पर ध्यान दें आवश्यक होगा। विद्युत अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान। विद्युत अधिनियम के जिन पांच प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, वे खंड 135,138,151,154 और 175 हैं और इन्हें इस स्तर पर पुनः मौजूदा किया जा सकता हैः

एस। 135. बिजली की चोरी।

(1) जो कोई भी, बेईमानी से,

(ए) ऊपर, भूमिगत या पानी की लाइनों या केबलों के नीचे, या; सेवा तारों, या किसी लाइसेंसधारी की सेवा सुविधाओं के साथ कोई कनेक्शन बनाता है या बनाता है; या

(बी) एक मीटर में छेड़छाड़ करता है, एक छेड़छाड़ किया गया मीटर करंट रिवर्सिंग ट्रांसफॉर्मर , लूप कनेक्शन या किसी अन्य उपकरण या विधि का उपयोग करता है जो बिजली के सटीक या उचित पंजीकरण , अंशांकन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता है या अन्यथा इस तरह से परिणाम देता है जिससे बिजली चोरी या बर्बाद हो जाती है; या

(सी) बिजली के मीटर, उपकरण, उपकरण, या तार को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है या उनमें से किसी को क्षतिग्रस्त या नष्ट करने देता है ताकि बिजली की उचित या सटीक मीटरिंग में हस्तक्षेप हो सके।

(i) 10 किलोवाट से अधिक, बिजली की ऐसी चोरी के कारण पहले/दोषसिद्धि पर लगाया गया जुर्माना वित्तीय लाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और दूसरे या बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में, सजा कम से कम छह महीने की अवधि के लिए कारावास होगी, जो पांच साल तक बढ़ सकती है और बिजली की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के कम से कम छह गुना से

अधिक जुर्माने के साथः बशर्ते कि यह साबित हो जाता है कि कोई निकालना साधन या साधन जो बोर्ड या लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता द्वारा बिजली के संक्षिप्त सार, खपत या उपयोग के लिए अधिकृत नहीं है, यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि बिजली का कोई संक्षिप्त सार, खपत या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी से किया गया है।

(2) राज्य द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी कार्यालय [एल [सरकार -(ए) किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है, तोड़ सकती है और तलाशी ले सकती है जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि बिजली का अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया है या किया जा रहा है; ई (बी) ऐसे सभी उपकरणों, उपकरणों, तारों और किसी अन्य सुविधा प्रदाता या वस्तु की तलाशी ले सकती है, जब्त कर सकती है और हटा सकती है जिसका उपयोग बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए किया गया है; एफ (सी) किसी भी लेखा पुस्तक या दस्तावेज की जांच या जब्त कर सकती है जो उसकी राय में उप-खंड (1) के तहत अपराध के संबंध में किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगी और उस व्यक्ति

को अनुमति दे सकती है जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज जब्त किए जाते हैं, उनकी प्रतियां बनाने या वहां से उद्धरण लेने की अनुमति दें।

(3) तलाशी स्थल पर रहने वाला या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति तलाशी के दौरान मौजूद रहेगा और 374 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 1 एस. सी. आर.

हजार रुपये, या दोनों के साथ, एक निरंतर अपराध के मामले में, दैनिक जुर्माने के साथ जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है; और यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा संबंध बनाने के लिए कोई साधन मौजूद है जैसा कि खंड (ए) में संदर्भित है या ऐसा पुनर्संयोजन जो खंड (बी) में संदर्भित है, या ऐसा संचार जो खंड (सी) में संदर्भित है, ऐसा परिवर्तन या रोकथाम करने के लिए जो खंड (डी) में संदर्भित है, और यह कि मीटर, संकेतक या उपकरण उपभोक्ता की हिरासत या नियंत्रण में है, चाहे वह उसकी संपत्ति हो या न हो, यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि ऐसा संबंध, पुनर्संयोजन , संचार, परिवर्तन , रोकथाम या अनुचित उपयोग, जैसा कि खंड (डी) में संदर्भित है। ऐसी तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं में से एक को तैयार किया जाएगा और ऐसे

रहने वाले या व्यक्ति को दिया जाएगा जो सूची पर हस्ताक्षर करेगाः बशर्ते कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी घरेलू स्थान या घरेलू परिसर का कोई निरीक्षण , तलाशी और जब्ती नहीं की जाएगी , सिवाय किसी वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति के जो ऐसे परिसर में रहता है।

(4) तलाशी और जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती पर, जहां तक हो सके, लागू होंगे। ओ. ओ. ओ एस. 138. मीटर या लाइसेंसधारी के कार्यों के साथ हस्तक्षेप। - (1) जो कोई भी,

(ए) किसी मीटर , संकेतक या उपकरण को किसी भी बिजली की लाइन से अनधिकृत रूप से जोड़ता है, जिसद्वारा से किसी लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है या उसे किसी ऐसी बिजली की लाइन से काट देता है; या

(बी) किसी भी मीटर , सूचक या उपकरण को अनधिकृत रूप से किसी बिजली की लाइन या अन्य कार्यों के साथ फिर से जोड़ता है, जो किसी लाइसेंसधारी की संपत्ति है, जब उक्त बिजली की लाइन या अन्य कार्यों को काट दिया गया है या काट दिया गया है या काट दिया गया है; या एफ (सी) किसी लाइसेंसधारी

से संबंधित किसी अन्य काम के साथ संचार करने के उद्देश्य से किसी भी काम को बिछाता है या बिछाता है, या जोड़ता है; या एच विशाल कृषि बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 875 विद्युत बोर्ड एस. आई. के. आर. आई, जे.]

(घ) अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित किसी मीटर, सूचक या उपकरण को दुर्भावनापूर्ण रूप से घायल करता है या जानबूझकर या धोखाधड़ी से ऐसे किसी मीटर, सूचक या उपकरण के सूचकांक को बदल देता है या किसी ऐसे मीटर, सूचक या उपकरण को विधिवत पंजीकरण से रोकता है; वह कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से जो दस डी. ओ. यू. डी. एस. 151 तक बढ़ सकता है। अपराधों का संज्ञान। कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा अधिकृत उनके किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिखित शिकायत की जाए। ओ. ओ. ओ एस. 154. विशेष न्यायाधीशालय की प्रक्रिया और शक्ति। - एफ

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, खंड 135 से 139 के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध केवल उस विशेष न्यायाधीशालय द्वारा विचारण योग्य होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा अपराध किया गया है।

(2) जहां किसी न्यायाधीशालय को किसी जांच या विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि किसी अपराध के संबंध में खंड 135 से 139 के तहत दंडनीय अपराध वह मामला है जो इस 376 सर्वोच्च न्यायाधीशालय रिपोर्ट [2014] 1 एस. सी. आर. के तहत गठित विशेष न्यायाधीशालय द्वारा विचारण योग्य है। जिस क्षेत्र में ऐसा मामला उत्पन्न हुआ है, उसके लिए एक अधिनियम, ऐसा मामला ऐसे विशेष न्यायाधीशालय को हस्तांतरित करेगा और उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे विशेष न्यायाधीशालय द्वारा ऐसे मामले का परीक्षण और निपटान किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे विशेष न्यायाधीशालय के लिए किसी विशेष न्यायाधीशालय के मामले के हस्तांतरण से पहले अभियुक्त की उपस्थिति के मामले में किसी भी न्यायाधीशालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य, यदि कोई हो, के आधार पर कार्य करना विधिसम्मत होगाः बशर्ते कि ऐसे विशेष न्यायाधीशालय की यह राय हो कि किसी भी गवाह की आगे की जांच, जिरह और

पुनःपरीक्षा न्यायाधीश के हित में है, वह ऐसे किसी भी गवाह को फिर से तलब कर सकता है और ऐसी आगे की जांच के बाद, जिरह और पुनःपरीक्षा , यदि कोई हो, जो वह अनुमति दे, गवाह को आरोपमुक्त कर देगा। (3) विशेष न्यायाधीशालय , खंड 260 की उप-खंड (1) या दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) की खंड 262 में किसी बात के होते के बावजूद खंड 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराध की सुनवाई उक्त संहिता में निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त तरीके से कर सकता है और उक्त संहिता की खंड 263 से 265 के प्रावधान , जहां तक हो सके, ऐसे मुकदमे पर लागू होंगेः बशर्ते कि जहां इस उप-खंड के तहत संक्षिप्त मुकदमे के दौरान , यह विशेष न्यायाधीशालय को प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि ऐसे मामले को संक्षिप्त तरीके से चलाने के लिए अवांछनीय है, विशेष न्यायाधीशालय किसी भी गवाह को वापस बुलाएगा जिसकी जांच की गई हो और फिर से सुनवाई करने के लिए आगे बढ़े। एच. विशाल अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 877 विद्युत बोर्ड [ए. के. एस. आई. के. आर. आई, जे.]

(4) एक विशेष न्यायाधीशालय , किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उससे गोपनीय किसी

व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को या अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्त पर और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को, चाहे वह अपराध करने में प्रमुख या दुष्प्रेरक के रूप में हो, क्षमा करना कर सकता है और इस तरह से दी गई कोई भी क्षमा करना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की खंड 308 के प्रयोजनों के लिए, इसकी खंड 307 के तहत दी गई मानी जाएगी। ग

(5) विशेष न्यायाधीशालय किसी उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के संदर्भ में नागरिक दायित्व का निर्धारण कर सकता है जो ऊर्जा की चोरी का पता चलने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए लागू शुल्क दर के दो गुना के बराबर राशि से कम नहीं होगी या चोरी की सटीक अवधि यदि निर्धारण की जाती है तो जो भी कम हो और इस तरह निर्धारण नागरिक दायित्व की राशि की वसूली इस तरह की जाएगी जैसे कि यह दीवानी अदालत की डिक्री हो।

(6) यदि विशेष न्यायालय द्वारा अंत में इस प्रकार निर्धारित नागरिक दायित्व उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि से कम है, तो उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा बोर्ड या

लाइसेंसधारी या संबंधित व्यक्ति को इस प्रकार जमा की गई अतिरिक्त राशि, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या लाइसेंसधारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा विशेष न्यायालय के आदेश के संचार की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर, ऐसी जमा की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित प्रमुख ऋण दर पर ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। जी स्पष्टीकरण -इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "नागरिक दायित्व "का अर्थ है खंड 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराध के कारण बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई हानि या क्षति, जैसा भी मामला हो। एच 878 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 1 एस. सी. आर. ए. एस. 175। इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगेः - इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त हैं और उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसके बाद 'संहिता 'के रूप में संदर्भित किया गया है) की योजना का संबंध है, यह इंगित करना आवश्यक है कि यह अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, अर्थात् हस्तक्षेप और गैर-हस्तक्षेप अपराध। संहिता की अनुसूची । के भाग । के अनुसार, तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध एक हस्तक्षेप अपराध है।

संहिता की खंड 154 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक हस्तक्षेप अपराध के संबंध में, इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जानी चाहिए, जो इसे लिखित रूप में कम करेगा। इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

खंड 154 की उप-खंड (3) आगे पुलिस अधिकारियों को बाद की खंडओं में निर्धारित तरीके के अनुसार इसकी जांच करने और उसके बाद मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है, जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त हैः संहिता की खंड 173 के बशर्ते, जाँच पूरी होने पर। "यहाँ, संहिता की खंड 4 के प्रावधान प्रासंगिक हो जाते हैं जो अपीलकर्ता के प्रस्तुत करने के लिए एक पूर्ण उत्तर प्रदान करते हैं। इसमें लिखा हैः एफ. ए. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के बशर्ते अपराध का मुकदमा -(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के बशर्ते सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। (2) किसी भी अन्य कानून के बशर्ते सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा,

लेकिन एच विशाल अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 87 के लिए किसी भी अधिनियम के अधीन [ए. के. सिकरी, जे.] जांच के स्थान के तरीके को विनियमित करने, पूछताछ करने, प्रयास करने या अन्यथा ऐसे अपराधों से निपटने के लिए। खंड 4 के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि संहिता के प्रावधान लागू होंगे जहां भा.दं.सं. सी. के बशर्ते या किसी अन्य कानून के बशर्ते किसी अपराध की जांच की जा रही है, जांच की जा रही है, मुकदमा चलाया जा रहा है या अन्यथा निपटा जा रहा है। किसी अन्य कानून के बशर्ते इन अपराधों की जांच, जांच या मुकदमा संहिता के प्रावधानों के अनुसार भी किया जा सकता है, सिवाय किसी अपराध के मामले के जहां इसके बशर्ते निर्धारित प्रक्रिया संहिता के बशर्ते निर्धारित प्रक्रिया से अलग है।

यह विशेष रूप से विद्युत अधिनियम की खंड 155 के तहत भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई विशेष या अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई हो। बल्कि, संहिता में निहित प्रक्रिया को विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने वाले अपराधों के लिए भी लागू किया गया है। डी

22. हम यहाँ एम. नारायणदास बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में निर्णय पर चर्चा करना चाहेंगे। 2004 सी.

आर. आई. एल. जे. 822, जिसका इस मुद्दे पर सीधा असर है। सवाल यह उठा कि क्या संहिता की खंड 195 और खंड 340 है। हस्तक्षेप अपराध की जाँच करने की पुलिस की शक्ति को प्रभावित करता है। खंड 195 लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना , लोक न्यायाधीश के खिलाफ अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीशालय उसमें निर्दिष्ट अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा , सिवाय उस न्यायाधीशालय या किसी अन्य न्यायाधीशालय की लिखित शिकायत के जिसके वह न्यायाधीशालय अधीनस्थ है। संहिता की खंड 340 इस प्रक्रिया को निर्धारित करती है कि Cr.P.C की खंड 195 के तहत शिकायत को कैसे प्राथमिकता दी जा सकती है। यह अभिकथित लगाते हुए कि अभिकथिती ने खंड 195 के तहत अपराध किया था, शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत की थी और पुलिस ने उस पर जांच शुरू की थी। अभियुक्त /प्रतिवादी ने तर्क देना था कि चूंकि मामला संहिता की खंड 195 के तहत दायर किया गया था, इसलिए यह संहिता के अध्याय XVI के प्रावधान थे जो 880 सर्वोच्च न्यायाधीशालय रिपोर्ट [2014] 1 अन्य सी. आर. (पुलिस द्वारा जाँच से संबंधित) एक लागू होने वाला और उसका अध्याय बारहवाँ नहीं। इस दलील को

निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया गयाः बी "8। हम प्रत्यर्थी की ओर से की गई दलीलों को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, यह देखा जाना चाहिए कि उच्च न्यायाधीशालय इस आधार पर शिकायत को रद्द नहीं करता है कि खंड 195 लागू हुई थी और अध्याय XXVI के तहत प्रक्रिया का मुकदमा नहीं किया गया था। इस प्रकार इस तरह के आधार का उपयोग आक्षेपित निर्णय को बनाए रखने के लिए नहीं किया जा सकता था। अन्यथा भी, प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है। यह प्रश्न कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 और 340 एक हस्तक्षेप अपराध की जांच करने की पुलिस की शक्ति को प्रभावित करती है, इस न्यायाधीशालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम राज सिंह ; 1998 के मामले में पहले ही विचार किया जा चुका है। इस मामले में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः ई. एफ. हम एक दीवानी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी सी. की खंड 419,420,467 और 468 के तहत अपराध करने का अभिकथित लगाते हुए दर्ज की गई एफ. आई. आर. को रद्द करने वाले उच्च न्यायाधीशालय के आक्षेपित आदेश को इस आधार पर कायम रखने में असमर्थ हैं कि खंड 195 (1) (बी) (ii) सी. आर. पी. सी. पुलिस द्वारा मनोरंजन और इसकी जांच को प्रतिबंधित करती है। सी. आर. पी. सी. की खंड 195

को सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह उस स्तर पर लागू होता है जब अदालत सी. आर. पी. सी. की खंड 190 (1) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का इरादा रखती है और इसका पुलिस की उस एफ. आई. आर. की जांच करने की वैधानिक शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है जो संहिता के अध्याय XII के अनुसार एक हस्तक्षेप अपराध का खुलासा करती है, भले ही अपराध को संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया हो, जो किसी भी तरह से सी. आर. पी. सी. की खंड 195 द्वारा नियंत्रित या सीमित नहीं है। यह निश्चित रूप से सच है कि आरोप-पत्र (चालान) पर, यदि कोई हो, दायर किया गया है।

इस तरह के अपराध की जांच पूरी होने पर अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 (1) (बी) के प्रतिबंध को देखते हुए इसका संज्ञान लेने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ भी अदालत को प्राथमिकी (व्यथित निजी बी पक्ष द्वारा दायर) और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकता है, बशर्ते वह अपेक्षित राय बनाए और दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे। गोपालकृष्ण मेनन बनाम डी. राजा रेड्डी,

1983 (3) एस. सी. आर. 836, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, में इस न्यायालय के फैसले में तत्काल मामले के तथ्यों को लागू करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया गया था, भले ही जालसाजी का अपराध दीवानी अदालत में पेश की गई धन रसीद के संबंध में किया गया था और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अदालत खंड 195 सी. आर. पी. सी. को देखते हुए ऐसी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकती है।

हम न केवल इस निर्णय से बाध्य हैं, बल्कि हम इससे पूरी तरह इकरारनामा भी हैं। खंड 195 और 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करने की पुलिस की शक्ति को नियंत्रित या सीमित नहीं करती हैं। एक बार जाँच पूरी हो जाने के बाद खंड 195 में प्रतिबंध लागू हो जाएगा और अदालत संज्ञान लेने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि , वह अदालत तब प्राथमिकी और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर अपराध के लिए शिकायत दर्ज कर सकती है बशर्ते कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। इस प्रकार प्रतिवादी का कोई भी अधिकार (खंड 341) के तहत अपील दायर करने के अधिकार से बहुत कम प्रभावित नहीं होता है।

23. इस प्रकार , उपरोक्त चर्चा से जो स्पष्ट सिद्धांत सामने आता है वह यह है कि जब एक मजिस्ट्रेट को उसके समक्ष शिकायत दर्ज करने पर संज्ञान लेना है, तब भी वह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 1 एस. सी. आर. नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई अन्य रास्ता नहीं खोला गया है और शिकायत /एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज नहीं की जा सकती है। यह दोहराने की कीमत पर कहा गया है कि बिजली अधिनियम के तहत अपराधों पर भी संहिता में निहित प्रक्रिया को लागू करके मुकदमा चलाया जाना है। इस प्रकार , यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्युत अधिनियम के तहत एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है कि ऐसे अपराधों से कैसे निपटा जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि प्रत्यर्थी के वकील का यह निवेदन सही है कि यदि संहिता के तहत अपराध हस्तक्षेप है, तो खंड 154 और उससे आगे वाले अध्याय XII के प्रावधान लागू होंगे और यह पुलिस का कर्तव्य होगा कि वह प्राथमिकी दर्ज करे और उसी की जांच करे। खंड 135 और 138 केवल यह निर्धारित करती हैं कि बिजली की चोरी आदि से संबंधित कुछ कार्य भी अपराध होंगे। यह खंड 151 में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों /पक्षों को ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता बनने और लिखित रूप में न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाता है। जब ऐसी शिकायत

दायर की जाती है, तो न्यायालय सीधे संज्ञान लेने में सक्षम होगा। हालांकि , इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपराध की जांच के लिए अन्य रास्ते जो उपलब्ध हैं, उन्हें बाहर रखा जाएगा . यह तब होता है जब बिजली अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया तैयार नहीं की जाती है और इस अधिनियम के तहत मामलों को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

24. इस पृष्ठभूमि में, विद्युत अधिनियम की खंड 176 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8.6.2005 का भी उल्लेख करना आवश्यक है। इस अधिसूचना के माध्यम से बिजली नियम, 2005 तैयार किए गए हैं और नियम 12, जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार है।

12 (1) पुलिस उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या एक विशाल कृषि बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 883 विद्युत बोर्ड [ए. के. सिकरी, जे.] लाइसेंसधारी के अधिकृत अधिकारी या एक जनरेटिंग ए कंपनी , जैसा भी मामला हो, द्वारा पुलिस को लिखित में की गई शिकायत पर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगी।

(2) पुलिस किसी भी शिकायत की जांच के लिए लागू सामान्य कानून के अनुसार शिकायत की जांच करेगी। शिकायत की जांच के प्रयोजनों के लिए, पुलिस के पास दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 के तहत उपलब्ध शक्तियां होंगी। बी

(3) पुलिस जाँच के बाद, उपखंड (1) के तहत दायर शिकायत के साथ रिपोर्ट को अधिनियम के तहत मुकदमे के लिए अदालत को भेजेगी।

(4) उपरोक्त उपखंड (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा अधिकृत उनके किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा भी दायर की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, सीधे उपयुक्त न्यायालय में।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद , प्रत्येक विशेष न्यायालय अधिनियम की खंड 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान ले सकता है, जिसमें अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि केरल उच्च न्यायालय के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय और चाको, ए. के. में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय। &एन. आर. बनाम सहायक कार्यकारी अभियंता, K.S.E.B। (2010) 2 के. एल. जे. 569; विश्वनाथ पात्रा बनाम डिवीजनल इंजीनियर ए. आई. आर. 2007 कैल 189; रंजीत के. बैग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2006) 1 सी. सी. आर. एल. जे. (कैल) 334; परमशिवन बनाम भारत संघ (2007) 2 के. एल. टी. 733; कुमारन केमिकल्स (पी) लिमिटेड प्रतिनिधि. इसके प्रबंध भागीदार डी. थिल्लेराज और अन्य द्वारा। इंस्पेक्टर एच 884 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 1 अन्य सी. आर. द्वारा बनाम पांडिचेरी सरकार प्रतिनिधि। पुलिस का ए. एम. ए. एन. यू./टी. एन./0584/2010 अभय त्यागी बनाम दिल्ली राज्य एन. सी. टी. और ए. एन. आर. में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए सही कानून और दृष्टिकोण को निर्धारित नहीं करता है। और आशीष कुमार जैन बनाम झारखंड राज्य (2010) सी. आर. आई. एल. जे. 271 को इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

26. परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और खर्च के साथ खारिज कर दी जाती है। आर. पी. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मदनलाल सहारण , आर.जे.एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण -यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और किसी अन्य उद्देशय के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देशयों के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देशय से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।